

जिला दण्दाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय,

जामताड़ा

(जिला सामान्य शाखा)

विज्ञापन संख्या :- 01/2024

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:-30/07/2024

जामताड़ा जिलान्तर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 3910, दिनांक- 27.06.2024 के द्वारा चौकीदारों के रिक्त पदों पर समय-सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निदेश प्राप्त है। मुख्य सचिव महोदय, झारखण्ड, राँची के द्वारा दिनांक- 01.07.2024 को विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में भी निदेश दिया गया है कि चौकीदारों के आरक्षण रोस्टर तैयार कर आयुक्त कार्यालय से रोस्टर को अनुमोदित कराकर तत्काल विज्ञापन प्रकाशित किया जाय। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक- 149/सा0, दिनांक- 06.07.2024 द्वारा भेजे गये आदर्श आरक्षण रोस्टर पर प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-54/वि0 दिनांक-08.07.2024 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उपरोक्त निदेश के अनुपालन में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-2032, दिनांक- 07.04.2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभागीय अधिसूचना संख्या- 4998, दिनांक- 19.09.2019 के आलोक में 343 ग्रामीण चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का नाम:- चौकीदार

रिक्त पदों की संख्या-343

कोटि	अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0	पि0व0	आ0क0व0	कुल
रिक्त पद	139	170	शून्य	शून्य	शून्य	34	343

1. पद चिन्हितीकरण हेतु विभागीय आदेश/मार्गदर्शन की प्रत्याशा में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने/अन्य न्यायालयीय/विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकतानुसार विज्ञापन में आंशिक/पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है।
2. कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट-1 में संलग्न है।
3. आरक्षण :- झारखण्ड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिये लागु आदर्श आरक्षण।

क्षैतिज आरक्षण

- i. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709, दिनांक 12/09/2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिये 2% पद क्षैतिज रूप में आरक्षित होगा।

- ii. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03/04/2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। चौकीदार नियुक्ति नियमावली 2015 के कंडिका- 9 के आलोक में निःशक्त को आरक्षण की अनुमान्यता पर संशय है। चौकीदार ग्रामीण पुलिस माने जाते हैं, इस कारण भर्ती में निःशक्त को आरक्षण अनुमान्य होगा अथवा नहीं? तत्संबंधी सरकार से मार्गदर्शन की माँग की जा रही है, जिसके अनुरूप इसके अनुमान्यता पर निर्णय प्रभावित होगा।
- iii. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555, दिनांक 28/06/2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा।
- iv. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8281, दिनांक 03/12/2021 के आलोक में महिलाओं के लिये 5% पद क्षैतिज रूप में आरक्षित होगा।
4. शैक्षणिक योग्यता- चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/ बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। दिनांक- 01.07.2024 तक दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जायेगा।
5. उम्र सीमा:-
- (क) न्यूनतम उम्र सीमा:- 18 वर्ष
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा:-

क्र० सं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा
i	अनारक्षित	35 वर्ष
ii	आ०क०वर्ग	35 वर्ष
ii	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष
iii	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष
iv	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	40 वर्ष

(नोट:-पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों (माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित /अच्छादित) के लिये अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिये शिथिल किया गया है। साथ ही सभी श्रेणी दिव्यांगजनों के लिये अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(आयु की गणना की तिथि :- 01/07/2024)

6. अभ्यर्थियों को संबन्धित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं।

7. अभ्यर्थियों को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा।
 8. चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।

9. नियुक्ति प्रक्रिया :-

(क) चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त जामताड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति संबंधी प्रकाशित विज्ञापन संबंधित अंचल/प्रखण्ड कार्यालय/थाना में भी देखा जा सकता है। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जायेगा।

(ख) **लिखित परीक्षा :-** सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंको की ली जायेगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत (जनजातीय भाषा– संथाली क्षेत्रीय भाषा– बंगला, संथाली, खोरठा, उर्दू) से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जायेगी।

(ग) **शारीरिक माप:-** अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही क्रमांक (घ) में निर्धारित शारीरिक जाँच के लिये योग्य होंगे।

	उँचाई (निम्नतम)
(क) सामान्य:-	160 से0मी0
(ख) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग:-	160 से0मी0
(ग) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति:-	155 से0मी0
(घ) महिलाओं के लिये:-	148 से0मी0

लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्यज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 (पचास) बहुविकल्पीय प्रश्नों जिसके लिये 1.5 (डेढ़) घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक कटौती नहीं की जायेगी।

(घ) **शारीरिक जाँच:-** लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं क्रमांक-9 (ग) शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जाँच में निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे।

एक मील की दौड़

	समय	अंक
i. पुरुषों के लिये	05 मिनट या पहले	20 अंक
	05 मिनट के बाद 06 मिनट तक	10 अंक
	(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	
ii. महिलाओं के लिये	05 मिनट या पहले	20 अंक
	05 मिनट के बाद 06 मिनट तक	10 अंक
	(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	

10. लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।
11. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के द्वारा याचिका W.P. (S) 960/2016 सलन चंपिया एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य में दिनांक— 23.07.2018 को पारित आदेश W.P.(S) 3040/2020 दिनांक— 19.01.2021 में पारित आदेश एवं W.P.(S) 2302/2020 में दिनांक— 23.11.2020 को पारित आदेश तथा W.P.(S) 516/2016, W.P.(S) No1653/2016, W.P.(S) No 980/2016, W.P.(S) No 1597/2016, W.P.(S) No 6366/2016, W.P.(S) No 6365/2016, एवं W.P.(S) No 1148/2016 में दिनांक 23.07.2018 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन संबन्धी विभागीय अधिसूचना संख्या-4998, दिनांक-19.09.2019 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के लिये Weightage प्रदान की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश से उदभूत एवं प्रभावित/अच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित संपुष्टि के उपरान्त 02 अंक प्रत्येक पूर्ण 01 (एक) वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।
12. **मेधा सूची:**— लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा-सूची तैयार की जायेगी।
13. **चिकित्सा परीक्षण:**— नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जायेगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति किया जायेगा।
14. **परिवीक्षा:**— चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
15. **वेतनमान:**— चौकीदार का वेतनमान PB-1 5200-20200 ग्रेड पे-1800 होगा।
16. **आवेदन करने की प्रक्रिया:**—
- a. उपरोक्त योग्यता-सह-अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे:—
1. शैक्षणिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र
 2. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण-पत्र
 3. जन्म तिथि से संबन्धित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
 4. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र
 5. स्वअभिप्रमाणित अद्यतन 04 (चार) पासपोर्ट साईज फोटो
 6. स्वपता लिखा लिफाफा जिसके उपर 26 रू0 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करते हुए दिनांक— 30/07/2024 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग, उपायुक्त कार्यालय, समाहरणालय, जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है।
- b. अभ्यर्थी लिफाफा के उपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम, एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे।

- c. किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- d. आवेदन को बन्द लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है।
- e. अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाईट jamtara.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र/आवेदन पत्र (Form) को Download किया जा सकता है।
- f. परीक्षा शुल्क:— निःशुल्क
- g. परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जायेगी।
- h. दिनांक—**30/07/2024** के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- i. आवेदन निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे:—उपायुक्त, जामताड़ा

जिला सामान्य शाखा (समाहरणालय),
जामताड़ा, पिन— 815351।



12.7.24
जिला दण्डाधिकारी—सह—
उपायुक्त, जामताड़ा।

ज्ञापांक.....**157**...../सा0, दिनांक.....**12/07/2024**

प्रतिलिपि:— जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को जिला के अधिकृत वेबसाईट jamtara.nic.in में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सभी थाना प्रभारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी जामताड़ा जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि सभी थाना, पंचायत, अंचल, प्रखण्ड क्षेत्र में व्यापक प्रचार—प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:— प्रमंडलीय आयुक्त, संचाल परगना प्रमंडल, दुमका को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:— सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ।



12.7.24

जिला दण्डाधिकारी—सह—
उपायुक्त, जामताड़ा।